सत्यमेव जयते

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

संविधान दिवस

26 नवंबर 2019 - 26 नवंबर 2020

"यदि संविधान, सरकार के लिए केवल अनुसरण करने का दस्तावेज बना रहता है, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इसीलिए इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है।"

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

भारत का संविधान

- भारत का संविधान वह बुनियादी कानून है जिससे हमारे देश के राजनैतिक ढांचे की रूपरेखा निर्मित हुई है। संघीय ढांचे के साथ इस संविधान पर संसदीय लोकतंत्र और गणराज्य की बुनियाद टिकी है।
- भारत का संविधान इसके संस्थापकों की दूरदर्शिता और आदर्शों को मूर्त रूप देना है । यह उनके सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विचार प्रकृति, आस्था एवं इच्छा शक्ति को दर्शाता है ।
- संविधान भारतीय गणराज्य के प्रमुख अंगों – कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करता है । उनकी शक्तियों को परिभाषित करते हुए यह उनके दायित्वों को निर्धारित करता है।

भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं:–

- शासन की संसदीय प्रणाली
- मौलिक अधिकार और कर्तव्य
- संघीय ढांचा
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- धर्मनिरपेक्षता
- नागरिकता
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- वयस्क मताधिकार

- भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है, जिसके निर्माण में अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, रूस आदि के संविधानों से प्रेरणा ली गई है।
- संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।

"अगर संविधान को सरल भाषा में मुझे कहना है तो हमारा संविधान भारतीयों के लिए प्रतिष्ठा और भारत की एकता इन दो मूल मंत्रों को साकार करता है।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

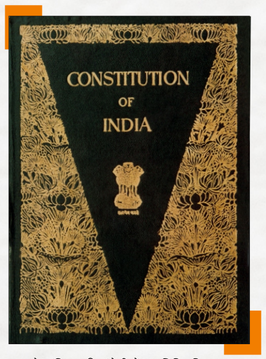

भारत के संविधान की अंग्रेजी में हस्तलिपि प्रति का कवर पेज

संविधान की मूल पांडुलिपि चर्म पत्र पर 16 इंच x 22 इंच में लिखी गई है जो हजार वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। इसकी संपूर्ण पांडुलिपि 251 पृष्ठों की है और इसका वजन 3.75 किलोग्राम है।

संविधान सभा और संविधान का निर्माण

भारत के संविधान का मसौदा संविधान सभा (1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत स्थापित) द्वारा वर्ष 1946 से 1949 के बीच तैयार किया गया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस सभा के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दीं।

सभा के 299 सदस्यों (15 महिलाओं सहित) ने संविधान का मसौदा तैयार करने में तीन वर्ष से कम (1946 से 1949) समय लिया।

संविधान सभा के सदस्य दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच 11 सत्रों में मिले।

29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया।

दिसंबर, 1946 में संविधान सभा का सत्र।

"भारत ने आदरणीय बाबा साहेब अंबेडकरजी के नेतृत्व में एक समावेशी संविधान का मसौदा तैयार किया। यह समावेशी संविधान नए भारत के निर्माण के संकल्प में अग्रणी है । इसमें हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी हैं और इसने हमारी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की हैं।"

नरेन्द्र मोदी,
प्रधानमंत्री

"संविधान अधिवक्ताओं का दस्तावेज मात्र नहीं है, यह जीवन का माध्यम है और इसकी आत्मा सदैव युग की आत्मा है।"

डॉ. बी. आर. अंबेडकर

डॉ. बी. आर. अंबेडकर का चित्र।

केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। राजकुमारी अमृत कौर, डॉ. जॉन मथाई और सरदार वल्लभभाई पटेल चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया और यह 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ। इसी दिन से संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और यह दस्तावेज़, 1952 में,जब तक नई संसद का गठन नहीं हो गया, भारत का अंतरिम संविधान बन गया। संविधान के मसौदे पर विचार करते हुए कुल प्रस्तावित 7635 संशोधनों में से 2473 संशोधनों का चर्चा उपरांत निराकरण किया गया।

संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए।

संविधान सभा ने संविधान निर्माण के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कुल 13 समितियां का गठन किया। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य गौण समितियां थीं।

संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियों के नाम

- मसौदा समिति
- केंद्रीय शक्ति समिति
- केंद्रीय संविधान समिति
- प्रांतीय संविधान समिति
- मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा अपवर्जित क्षेत्रों पर
- सलाहकार समिति
- प्रक्रिया नियम समिति
- संचालन समिति

24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के पहले सत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल।

संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अंगीकार किया।

आधुनिक भारतीय कला के प्रख्यात व्यक्तित्व श्री नंद लाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के मार्जिन का रूपांकन किया और उन्हें कलात्मक चित्रों के साथ सुशोभित किया।

कैलीग्राफिक कला में निष्णात श्री प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने स्वयं पूरे संविधान को लिखा। इस कार्य को पूरा करने में 6 महीने का समय लगा और उन्होंने इस कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया।

संविधान सभा के सदस्यों की सामूहिक तस्वीर, 1950

संविधान सभा का गठन और प्रमुख सदस्य

कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार प्रांतीय असेंबलियों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। इस सभा में 299 सदस्य थे, जो 229 प्रांतों और 70 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
सभा के कुछ प्रसिद्ध सदस्यों में शामिल थे:

डॉ. राजेंद्र प्रसाद	आसफ अली	बेगम एजाज़ रसूल	पदमपत सिंघानियाँ	हरी सिंह गौर
सरदार वल्लभभाई पटेल	श्यामा प्रसाद मुखर्जी	के. एम. मुंशी	पुरुषोत्तमदास टंडन	पंजाबराव एस देशमुख
जवाहरलाल नेहरू	हंसा मेहता	सर्वपल्ली राधाकृष्णन्	सुचेता कृपलानी	रवि शंकर शुक्ला
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	गोपीनाथ बोरदोलोई	अम्मू स्वामीनाधन	हसरत मोहनी	हरीकृष्णा महताब
गोविंद बल्लभ पंत	हरेंद्र कुमार मुखर्जी	एम. अनंथसायनम अय्यानगर	रफी अहमद किदवई	अन्ने मस्करेना
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	बिनोदानंद झा	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यार	अनुग्रहनारायण सिन्हा	जीवराज नारायण मेहता
सरोजिनी नायडू	दुर्गाबाई देशमुख	बी. पट्टाभि सीतारामय्या	जगजीवन राम	मोतुरी सत्यनारायण
राजकुमारी अमृत कौर	फ्रैंक एंथोनी	टी. प्रकासम	सच्चीदानंद सिन्हा	दीप नारायण सिंह
जे. बी. कृपलानी	जयपाल सिंह मुंडा	एन. संजीव रेड्डी	सत्यनारायण सिन्हा	सर सय्यद मुहम्मद सदुल्ला
सी. राजगोपालाचारी	हरगोविंद पंत	एस. निजालिंगप्पा	श्री कृष्ण सिन्हा	के. कमराज
शरत चंद्र बोस	जॉन मथाई	जी.वी. मावलंकर	सेठ गोविंद दास	पी. सुब्बायण

I beg to move, Sir,

"That it be resolved that:

(1) After the last stroke of midnight, all members of the Constituent Assembly present on this occasion do take the following pledge:

'At this solemn moment when the people of India, through suffering and sacrifice, have secured freedom, I, ... a member of the Constituent Assembly of India, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people to the end that this ancient land attain her rightful place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind.'

(2) Members who are not present on this occasion do take the pledge (with such verbal changes as the President may prescribe) at the time they next attend a session of the Assembly."

संविधान सभा के सदस्यों द्वारा ली गई शपथ

नागरिक एवं मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता

"उचित रूप से निर्वाह किए गए कर्तव्य ही अधिकार हैं"

महात्मा गांधी

नागरिक और मौलिक कर्तव्य के बारे में व्यापक रूप से जागरूकता फैलाने के लिए 26 नवंबर, 2019 से 26 नवंबर, 2020 तक देश में यह कार्यक्रम लिया गया है । #itsmyduty से जुड़ें।

प्रमुख उद्देश्य

- भारत–वासियों को पुनः बताना कि वही संविधान और उसमें उल्लिखित मूल्यों एवं सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक हैं ।
- समस्त नागरिकों को साथी नागरिकों, समाज एवं राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों का स्मरण कराना ।
- नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना के प्रति गर्व–भाव निर्मित करना ।
- राष्ट्र के प्रति अनुशासन और समर्पण की भावना को बढ़ावा देने तथा राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करना

मौलिक कर्तव्य – महत्व और संकलन

"मुझे अपने कर्तव्यों की अनुभूति अपनी मां की गोद में ही हो गई थी। वह एक कम पढ़ी–लिखी अशिक्षित महिला थीं...उन्हें मेरा धर्म ज्ञात था । अतः यदि हमें बचपन में ही अपने धर्म का ज्ञान हो जाए और हम उस पर अमल की कोशिश करने लगें तो हमें अपने अधिकार स्वतः ही मिलने लगते हैं... सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कर्तव्य के निर्वहन से हमारे अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। अधिकारों को कभी भी कर्तव्यों से अलग नहीं किया जा सकता है । इसी से सत्याग्रह की उत्पत्ति हुई क्योंकि मैं सदैव यह जानने के लिए प्रयासरत रहा था कि आखिरकार मेरा कर्तव्य क्या है।"

28 जून, 1947 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर महात्मा गांधी के अनमोल विचार

हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को मिले व्यापक अधिकारों के बदले में उनके दायित्वों पर विशेष जोर देना था।

मौलिक कर्तव्यों के तहत सम्मान, गौरव, सहिष्णुता, शांति, विकास और सद्भाव के महत्वपूर्ण मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है।

42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1976 में संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के प्रति नागरिकों के बुनियादी, नैतिक एवं अपरिहार्य दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं।

मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की अनुशंसा करते समय गठित समिति ने यह राय व्यक्त की थी कि देश के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते समय अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज न करें । यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ।

बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों से संबंधित 11वें मालिक कर्तव्य को 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 के जरिए संविधान में जोड़ा गया था ।

मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संदर्भ सोवियत संघ, जापान और चीन के संविधानों से मिली है ।

हमारे मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली को बढ़ावा देने में अभिन्न माने जाने वाले कर्तव्यों का समावेश करते हैं । वे समाज के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता की सच्ची भावना को प्रोत्साहित करते हैं ।

मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सदैव यह स्मरण कराना है कि वैसे तो संविधान ने उन्हें कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक आचार–व्यवहार के कुछ विशेष बुनियादी मानकों का पालन करना भी उनके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक–दूसरे से जुड़े होते हैं।

"लोकतंत्र सिर्फ सरकार का एक स्वरूप नहीं हैं यह वस्तुतः हमारे देशवासियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक मनोभाव है।"

डॉ. बी. आर. अंबेडकर

"प्रत्येक भारतीय को अब यह भूल जाना चाहिए कि वह कोई राजपूत, सिख या जाट है। उसे अवश्य ही यह याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे अपने देश में हर अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ विशेष कर्तव्यों के साथ।"

सरदार वल्लभभाई पटेल

नागरिक और मौलिक कर्तव्य केवल सक्रिय भागीदारी के जरिए ही हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं।

अक्टूबर, 1999 में श्री न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यसिखाने के बारे में सुझाव पर एक रिपोर्ट पेश की थी।

नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहें

- MyGov.in पर भारत के संविधान की उद्देशिका को पढ़ें, ऑनलाइन शपथ को साइन करें और तत्काल प्रमाणपत्र प्राप्त करें ।
- MyGov.in पर ऑनलाइन संविधान दिवस क्वीज और निबंध प्रतियोगिता में भाग लें ।
- www.doj.gov.in से पोस्टर, ब्रोशर और अन्य संपर्क सामाग्री डाउनलोड करें ।

"मैं आपसे संकल्प करने और राष्ट्र के प्रति आपके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में चिंतन करने का अनुरोध करता हूं । कर्तव्य के पथ पर चलते हुए, 130 करोड़ प्रयासों की ताकत और 130 करोड़ संकल्प देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।"

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री
स्वच्छ भारत दिवस 2019 के अवसर पर

@Doj_India और MyGov.join#itsmyduty पर हमारे साथ जुड़ें |

भारत के संविधान एवं मौलिक कर्तव्य का संपूर्ण पाठ http//legislative.gov.in/constitution-of-india पर देखें

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India
सत्यमेव जयते

संविधान (भाग IV–L, अनुच्छे द 51L) में अंतर्निहित 11 कर्तव्य

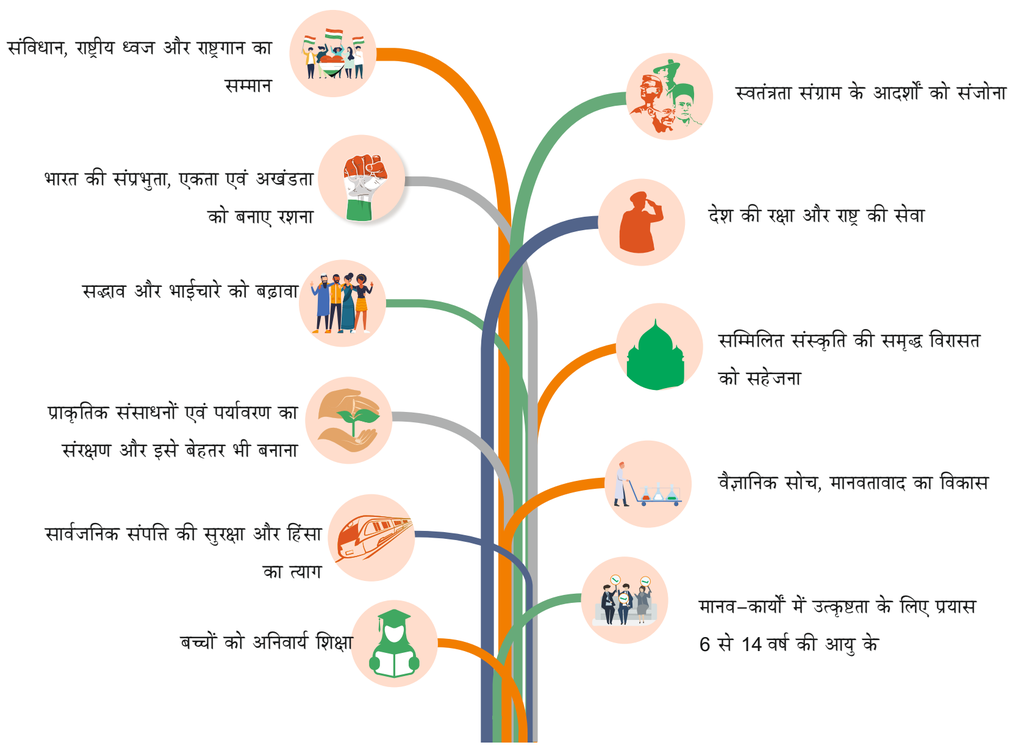

संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने से ये मानवाधिकारों के श्रेणीबद्ध घोषणा–पत्र के अनुच्छेद 29(1) के साथ सार्वभौमिक हो गए हैं ।

"हमें जीने का यथार्थ अधिकार केवल तभी मिलता है जब हम दुनिया की नागरिकता का कर्तव्य निभाते हैं। यह एक मौलिक कथन संभवतः पुरुष एवं महिला के कर्तव्यों को परिभाषित करने और प्रत्येक अधिकार को सबसे पहले पूरे किए जाने वाले किसी संबंधित कर्तव्य से जोड़ने के लिए काफी हद तक पर्याप्त है। हर उस दूसरे अधिकार को पूर्वानुमान के रूप में समझा जा सकता है जिसे पाने के लिए शायद ही लड़ने की आवश्यकता हो।"

महात्मा गांधी

मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

महात्मा गांधी ने कहा है कि कर्तव्य का स्रोत अधिकार है। यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो अधिकार स्वयमेव मिल जाएंगे ।

लोकतंत्र तब तक समाज में अपने गहरी जड़ें नहीं जमा सकता है जब तक देश के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन पूरक के तौर पर नहीं करते हैं।

प्रत्येक अधिकार के साथ एक संबंधित कर्तव्य भी जुड़ा होता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यका निर्वहन दूसरों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तभी हम अधिकार पाने के हकदार होते हैं।